

Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
लक्ष्य प्राईम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लिमिटेड जरिये डायरेक्टर बहादुर सिंह आदि
बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ व अन्य

किस्म मुकदमा:-अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण सं.-98/2022

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हए

23.11.2022

पत्रावली पेश हुई। बकूलाय फेरीकेन हाजिर। अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 01 ने प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 सीपीसी मय शपथ पत्र पेश कर प्रकरण में मौका स्थिति की रिपोर्ट मंगवाने हेतु निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति वकील अपीलांट को दिलाई जाकर प्रार्थना पत्र शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के निर्णय हेतु उभय पक्ष द्वारा लिखित बहस पेश की जा चुकी है। यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ द्वारा स्वीकृत इंतकाल के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश हुई है जिसमें मौका स्थिति रिपोर्ट मंगवाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए प्रकरण में हम मौका स्थिति रिपोर्ट मंगवाना उचित नहीं समझते है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। दौरान बहस प्रार्थना पत्र वकील अपीलांट श्री लेखराज देरासरी ने कथन किया कि रेस्पोंडेंट सं. 2 द्वारा धारा 96 सी.पी.सी के प्रार्थना-पत्र के जबाब में उल्लेखित किया गया है कि, लक्ष्य प्राइम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लि0 का दिनांक 11/09/2017 को विघटन (Strike off) हो चुका है, नियमानुसार स्ट्राइक ऑफ कम्पनी का कोई अस्तित्व नहीं रहता। यह अपील स्ट्राइक ऑफ हुई कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा पेश की गई है, जो हित विहीन पेश होने से खारिज किये जाने योग्य है। इस संबंध में निवेदन है कि कम्पनी एक्ट 1956 के अध्याय 18 में कम्पनियों के रजिस्टर से कम्पनियों के नाम हटाए जाने के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। इसी अध्याय की धारा 248 की उपधारा 4 में वर्णित किया गया है कि उपधारा 1 या 2 के अधीन जारी की गई सूचना जनसाधारण की जानकारी के लिए विहित रीति में और राजपत्र में प्रकाशित भी की जाएगी। उपधारा 5 के अनुसार सूचना में उल्लिखित समय की समाप्ति पर रजिस्ट्रार, जब तक कम्पनी द्वारा प्रतिकूल कारण न दर्शित किया जाए, कम्पनियों के रजिस्टर से उसका नाम काट देगा और राजपत्र में उसकी सूचना प्रकाशित करेगा। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने पर कम्पनी विघटीत हो जाएगी। रेस्पोंडेंट्स द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य इस न्यायालय में पेश नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट जाहिर हो, कि कम्पनी लक्ष्य प्राइम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लि0 का विघटन (Strike off) हो चुका है। यदि कम्पनी का विघटन (Strike off) हो चुका हो तो भी कम्पनी एक्ट 1956 की धारा 250 में यह प्रावधान किया गया है कि "जहाँ कोई कम्पनी धारा 248 के अधीन विघटीत हो गई है, वहाँ वह उस धारा की उपधारा 5 के अधीन सूचना में उल्लेखित तारीख से ही कम्पनी के रूप में कार्य नहीं करेगी और उसे जारी किए गए निगमन प्रमाण-पत्र को, कम्पनी को शोध्य रकमों की वसूली के प्रयोजन और कम्पनी के दायित्वों या बाध्यताओं के संदाय या निर्वहन के सिवाय उस तारीख से रद्द किया गया समझा जाएगा।" अर्थात कम्पनी के कार्य बन्द समझे जावेगो परन्तु कम्पनी की सम्पति संबंधी बाध्यताओं के संबंध में कम्पनी को चालू ही समझा जावेगा। रेस्पोंडेंट संख्या 02 द्वारा फार्म न. 3 के साथ प्रस्तुत किये गये उक्त कम्पनी के विवरण का अवलोकन करने से भी यही साबित होता है कि उक्त कम्पनी मुख्यतः निर्माण संबंधी कार्य करती है। कम्पनी द्वारा अपने कार्य बन्द कर दिये गये है ना कि कम्पनी बन्द हुई है। रेस्पोंडेंट सं. 2 का ये कथन भी बिल्कुल असत्य व वास्तविकता से परे है, कि कम्पनी केवल पेपरों में तैयार हुई थी तथा कम्पनी का किसी से कोई लेन-देन नहीं हुआ। जबकि कम्पनी के लेन-देन के सम्बन्ध में ओरियेन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा हनुमानगढ में कम्पनी के नाम से खाता सं. 01131011001027 का स्टेटमेंट पत्रावली में उपलब्ध है, जिसमें कम्पनी द्वारा किए गए लेन-देन का पूर्ण ब्यौरा अंकित है। इस प्रकार जब कम्पनी का समापन ही नहीं हुआ है तो अपीलान्त कम्पनी में अपने हितों की रक्षा के लिए कम्पनी की ओर से अपील लाने का पूर्णतः कानूनन रूप से अधिकारी है।

रेस्पोंडेंट संख्या 2 द्वारा लिखित बहस में अंकित यह कथन भी पूर्णतः असत्य है कि जैर अपील रकबा रेस्पोंडेंट सं. 2 द्वारा ही पूर्ण प्रतिफल का भुगतान करके खरीद किया हुआ है, जब कि वास्तविकता यह है कि जैर अपील रकबा कम्पनी लक्ष्य प्राइम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लि0 द्वारा जरिए मैनेजिंग डायरेक्टर कमलदीप सिंह पुत्र गुरमेल



अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (श्री गंगानगर)



सिंह दिनांक 03/06/2011 को रोही कस्बा सूरतगढ़ के संयुक्त खाता सं. 162/158 के खं. नं. 330, 322/2, 322/5, 325/1, 325/2, की कुल 12.204 हे. में से 1.434 हे. में से 0.97866 हे. भूमि सरोज देवी पत्नी श्री प्रवीण कुमार अरोडा से जरिए रजिस्टर्ड बैयनामा राशी 15,50,000/- रु में कय की गई थी, जिसमें अपीलान्ट ने कम्पनी में अपने अंश-दान 22 फीसदी के हिसाब से 3,41,000/- रु का भुगतान किया था। इसी प्रकार दिनांक 03/06/2011 को ही कम्पनी द्वारा खंसरा नं. 325/2 में 900 वर्ग फुट यानि 0.0083 हे. भूमि सरोज देवी से जरिए बैयनामा खरीद की गई। उक्त वर्णित भूमि के सम्बंध में विक्रेता सरोज देवी ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष एक राजस्व वाद सं. 125/2010 बअनवान श्रीमती सरोज देवी बनाम रामनाथ आदि प्रस्तुत किया हुआ था। उक्त भूमि कय करने के पश्चात कम्पनी की ओर से कम्पनी के अधिकृत एम.डी. कमलदीप द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 03/11/2011 को एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. पेश किया जिस पर न्यायालय ने कम्पनी लक्ष्य प्राइम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लि० को जरिये एम.डी. कमलदीप पुत्र गुरमेल सिंह बतौर प्रतिवादी सं. 50 संयोजित किया गया। तत्पश्चात दिनांक 05/03/2012 को रेस्पॉडेन्ट सं. 2 द्वारा उक्त अनवानी वाद में कम्पनी की ओर से जबाब दावा मय प्रति दावा प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण में दिनांक 29/04/2016 को सहायक कलेक्टर व उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा कमलदीप सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी ज्वालासिंहवाला तहसील हनुमानगढ़ एमडी. लक्ष्य प्राइम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लि० के पक्ष में डिक्री पारित की गई। उक्त डिक्री को आधार बनाकर रेस्पॉडेन्ट सं. 2 ने राजस्व विभाग के पटवारी, गिरदावर व रेस्पॉडेन्ट सं. 1 से मिलीभगत कर उक्त रकबा का इन्तकाल लक्ष्य प्राइम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लि० के नाम से दर्ज न करवाकर उक्त रकबा का इंतकाल सं. 690 दिनांक 19/08/2016 अपने नाम से दर्ज करवा लिया। जो कि गलत, विधि-विरुद्ध, व अनुचित है तथा बैयनामा दिनांक 03/06/2011 एवं न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के आदेशों के प्रतिकूल है। उक्त नामांतरण से कम्पनी लक्ष्य प्राइम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लि० के हितो को नुकसान हुआ है, तथा प्रार्थी (अपीलान्ट) कम्पनी लक्ष्य प्राइम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लि० का डायरेक्टर होने के नाते हितबद्ध पक्षकार है, तथा अपील पेश करने का पूर्णतः कानूनन अधिकारी है। रेस्पॉडेन्ट सं. 2 ने दिनांक 07/03/2017 को सरोज देवी पत्नी प्रवीण कुमार से इन्ही खसरा जात में 0.126 हे. भूमि अपने स्वयं के नाम से जरिए रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की और इस बैयनामा की आड में कम्पनी लक्ष्य प्राइम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लि० द्वारा दिनांक 03/06/2011 को दो टुकड़ों में कय की गई भूमि को रेस्पॉडेन्ट सं. 2 ने अपने स्वयं के नाम से बैयनामा की आड में तमाम भूमि रेस्पॉडेन्ट सं. 1 से मिलकर अपने नाम (कमलदीप सिंह) करवा ली। इस सम्बंध में न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के न्यायालय में कमलदीप सिंह द्वारा दिनांक 17/05/2017 को संशोधित डिक्री हेतु प्रार्थना-पत्र पेश किया गया। दिनांक 08/06/2017 को एस.डी.ओ सूरतगढ़ ने संशोधित प्राथमिक डिक्री जारी फरमाते हुए जमाबन्दी संवत 2064-67 के संयुक्त खाता सं. 162/158 की 12.204 हे. बारांनी खातेदारी रकबा में से प्रतिवादी सं. 50 के नाम 1.112 हे. रकबा का खाता विभाजन कर खसरा नं. 325/2 का 1.112 हे.रकबा से तरमीम खसरा नं. 811/325 का 1.112 रकबा प्रतिवादी नं. 50 कमलदीप सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी ज्वालासिंहवाला तहसील हनुमानगढ़ एमडी. लक्ष्य प्राइम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लि० के नाम से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश फरमाया। उक्त डिक्री के अनुसरण में रेस्पॉडेन्ट सं. 2 ने कतई गलत व विधि विरुद्ध तरीके से राजस्व विभाग के पटवारी, गिरदावर व रेस्पॉडेन्ट सं.1 से मिलिभगत कर इन्तकाल सं. 762 दिनांक 30/06/2017 अपीलान्ट कम्पनी लक्ष्य प्राइम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लि० के नाम न करवा कर अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार नामांतरण सं. 690 दिनांक 19/08/2016 व नामांतरण सं. 762 दिनांक 30/06/2017 दोनों ही विधि विरुद्ध तरीके से रिकार्ड के विपरीत तथा सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा जारी डिक्री में पारित आदेश के विपरीत दर्ज हुए है, जिससे अपीलान्ट कम्पनी लक्ष्य प्राइम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लि० के विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। प्रार्थी (अपीलान्ट) कम्पनी लक्ष्य प्राइम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लि० का डायरेक्टर होने के नाते हितबद्ध पक्षकार है, तथा अपील पेश करने का पूर्णतः कानूनन अधिकारी है। अतः प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी स्वीकार फरमाते हुए अपील का निर्णय मेरिट के आधार पर किया जावे।

वकील रेस्पॉडेन्ट संख्या 2 श्री शिशपाल शर्मा ने लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि बहस प्रार्थना पत्र पर धारा 96 सीपीसी के जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट ने अपने आप को लक्ष्य प्राइम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लिमिटेड सी - 1 चित्रकुट सैक्टर न. 1, वैशाली नगर, जयपुर जरिये डायरेक्टर यह अपील पेश की है जबकि कम्पनी दिनांक 11.09.2017 को ही Strike

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

off हो चुकी है। जब कम्पनी समाप्त हो गई है तो इस कम्पनी का कोई ना तो डायरेक्टर रहता व ना कोई मैनेजिंग डायरेक्टर रहता। अपीलांत बहादुर सिंह को अपील पेश करने का अधिकार नहीं है इसलिये अपील इसी स्तर पर खारिज योग्य है। जैर अपील इन्तकाल में वर्णित रकबा सपरिवर्तन होकर नगरपालिका सूरतगढ़ के नाम गैरमुमकिन दर्ज हो गया है, रकबा कृषि भूमि ही नहीं बचा इसलिये भी जब अपील की विवादित भूमि ही कृषि भूमि नहीं है तो इस रकबा की अपीलांत को अपील पेश करने का अधिकार ही नहीं बचता है तथा जब तक सपरिवर्तन आदेश बहाल रहता है जब तक अपीलांत को अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। श्रीमान सहायक कलक्टर सूरतगढ़ ने दावा संख्या 125/2010 द्वारा ही जैर प्रकरण भूमि का कमलदीप सिंह को खातेदार घोषित किया। तथा इस दावा के विरुद्ध अपील भी निरस्त हो चुकी है। इसलिये भी अपील पेश करने का अधिकार अपीलांत को नहीं है। अपील में वर्णित रकबा की प्रतिफल राशि लक्ष्य प्राईम इण्डिया द्वारा नहीं चुकाई गई इसकी प्रतिफल की तमाम राशि कमलदीप सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जटसिख द्वारा ही सरोज देवी को भुगतान की गई थी इस कम्पनी में कोई भी कार्य नहीं किया। कम्पनी ने ना तो कोई व्यापार किया व ना ही कोई सम्पत्ति खरीदी कम्पनी और ना ही किसी से कोई लेन- देन किया, इसी वजह से ही कम्पनी का समापन किया गया था। चूकि जब कम्पनी का समापन/विघटन हो गया है तो बहादुरसिंह को कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के आधार पर अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। इसलिये अपीलांत के कोई भी हित प्रभावित नहीं हुये अपीलांत प्रभावित पक्षकार नहीं है लक्ष्य प्राईम इण्डिया कम्पनी ही समाप्त हो चुकी है तथा अपील में वर्णित रकबा भी कृषि भूमि नहीं रहा इसलिये अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे। कानूनी नजीर सी जे (सी आई वी) राज. 2022 (1) पेज न. 262, डी एन जे 1997 पेज न. 747, आर बी जे 2002 (1) पेज न. 592, आर आर टी 2020 (1) पेज न. 205 की ओर ध्यान दिलाया।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 3, 5, 6 व 7 श्री कमलदत्त शर्मा ने दौराने बहस कथन किया कि वर्तमान में कम्पनी का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। अतः अपीलांत प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार नहीं रहे है। अपीलांत यह अपील पेश करने के कानूनन हकदार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज की जाकर अपील अपीलांत इसी स्तर पर खारिज की जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 4 ने दौराने बहस कथन कि अपीलांत की बहस ही हमारी बहस है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर उभय पक्ष की पर मनन किया गया तथा पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध लक्ष्य प्राईम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लिमिटेड के संविधान के अवलोकन से पाया कि अपीलांत बहादुर सिंह पुत्र प्रभातीलाल उक्त कम्पनी में डायरेक्टर है। रेस्पोडेंटगण द्वारा बहादुर सिंह के उक्त कम्पनी में डायरेक्टर होने संबंधी कोई आपत्ति दौराने बहस/लिखित में पेश नहीं की तथा ना ही कोई प्रति शपथ पत्र पेश किया है। अपीलांत बहादुर सिंह द्वारा हस्तगत अपील डायरेक्टर की हैसियत से पेश की है, जो प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार साबित होते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलांत द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी पेश किया है। जिसका रेस्पोडेंटगण द्वारा आज दिनांक तक कोई जवाब तथा कोई प्रति शपथ पत्र पेश नहीं किया है। अपीलांत द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी का जो कारण धारा 5 मियाद के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है, वह उचित प्रतीत होता है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। अतः प्रकरण का निस्तारण हम गुणावगुण पर करना उचित समझते है। अतः अपीलांत द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रकरण में कोई कानूनी बिन्दु शेष नहीं है। उभय पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर प्रस्तुत की गई लिखित बहस के बिन्दु प्रकरण के गुणावगुण पर भी लागू होते है। अतः प्रकरण का अन्तिम निस्तारण करना भी उचित समझते है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया जिससे पाया कि लक्ष्य प्राईम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लि0 द्वारा जरिये एम.डी. कमलदीप सिंह पुत्र गुरमेल सिंह (हस्तगत अपील के रेस्पापेडेंट संख्या 02) द्वारा दिनांक 03.06.2011 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा सरोज देवी पत्नी प्रवीण कुमार जाति अरोडा निवासी सूरतगढ़ से रोही करबा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ के राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी संवत 2060 ता 2063 के संयुक्त खाता नया 162 पुराना 158 के खसरा न. 330, 322/2, 322/5, 325/1, 325/2 की कुल 12.204 है0 अर्थात सरोज देवी की 1.434 है0 भूमि में से 0.97866 है0 तथा उसी दिन दिनांक 03.6.2011 को ही एक अन्य जरिये बैयनामा के जरिये लक्ष्य प्राईम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लि0 द्वारा जरिये एम.डी. कमलदीप सिंह पुत्र गुरमेल सिंह

(हस्तगत अपील के रेस्पापेडेंट संख्या 02) द्वारा सरोज देवी पत्नी प्रवीण कुमार से रोही सूरतगढ़ के खसरा न. 325/2 (इन्द्रा सर्किल से मानकसर चौराहे के मध्य) में स्थित 40 गुणा 30 कुल 1200 में से 900 वर्गफुट (0.0083 है0) का व्यवसायिक भूखण्ड कय किया।

उक्त बैयनामों से पूर्व विक्रेता सरोज देवी ने न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष एक वाद संख्या 125/2010 अनवान सरोज देवी बनाम रामनाथ आदि प्रस्तुत किया हुआ था। भूमि कय के बाद उक्त प्रकरण में बैयनामा के आधार पर लक्ष्य प्राईम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लि0 द्वारा जरिये एम.डी. कमलदीप सिंह पुत्र गुरमेल सिंह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पेश करने पर उक्त प्रकरण में कमलदीप सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी ज्वालामुखी तहसील हनुमानगढ़ एमडी लक्ष्य प्राईम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लि0 को प्रतिवादी संख्या 50 पर संयोजित कर दिनांक 29.4.2016 को डिक्री जारी करते हुए सरोज देवी पत्नी से दिनांक 03.06.2011 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीदशुदाशुदा 0.97866 एवं 0.0083 कुल 0.98696 है0 भूमि का खातेदार प्रतिवादी संख्या 50 कमलदीप सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी ज्वालामुखी तहसील हनुमानगढ़ एमडी लक्ष्य प्राईम इण्डिया इन्फ्रा डवलपर्स लि0 को घोषित कर दिया। उक्त प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.4.2016 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ द्वारा 0.98696 है0 भूमि का जैर अपील इंतकाल संख्या 690 दिनांक 19.8.2016 कमलदीप सिंह के नाम से दर्ज कर दिया, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्ती योग्य है।

अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ का इंतकाल संख्या 690 दिनांक 19.8.2016 को कमलदीप सिंह पुत्र गुरमेल सिंह जाति जटसिख निवासी ज्वालामुखी तहसील हनुमानगढ़ की हद तक निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ द्वारा पारित डिक्री का भलीभांति अवलोकन कर डिक्री अनुसार प्रतिवादी संख्या 50 के नाम से पुनः नियमानुसार इंतकाल दर्ज करने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रवाली बाद तर्तीब तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (सूरतगढ़गरे)